



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57067

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 384/2026

वीशू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : राहुल कुमार तिवारी, संजय कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार श्रीवास्तव एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान को सुना।
2. सूची पुनरीक्षित वर्तमान आपराधिक विविध जमानत आवेदन, आवेदक वीशू की ओर से मु.अ.सं० 195/2025, अन्तर्गत धारा 308(5), 333, 324(4), 352, 115(2), 351(2) बी.एन.एस., थाना बुधाना, जिला मुजफ्फरनगर में विचारण की लम्बित अवधि के दौरान जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आरोप के अनुसार आवेदक ने सूचक से रु० 50,000/- की माँग की और उसे धमकी भी दी, किन्तु आवेदक के विरुद्ध लगाये गये समस्त आरोप पूर्णतः मिथ्या हैं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आगे यह तर्क दिया गया कि वास्तव में सूचक एवं आवेदक के बीच कोई विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण उसने वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।
5. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि स्वीकार्य रूप से सूचक ने आवेदक को कोई धनराशि नहीं दी।
6. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पाँच अन्य प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है, किन्तु उसके आपराधिक इतिहास की विस्तार से व्याख्या वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल पूरक शपथपत्र में की गई है तथा समस्त मामलों में वह जमानत पर है।
7. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में आवेदक दि० 05.07.2025 अर्थात् पिछले 8 माह से अधिक अवधि से कारागार में है।
8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिये गये तर्कों को विवादित नहीं कर सके।
9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
10. तथापि, वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक के पाँच अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है और जबरन वसूली का भी आरोप है, किन्तु स्वीकार्य रूप से सूचक ने आवेदक को कोई धनराशि नहीं दी।
11. इसके अतिरिक्त, कथित घटना दि० 01.05.2025 एवं दि० 03.05.2025 को घटित हुई बताई जाती है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दि० 05.05.2025 को दर्ज की गई।
12. इसके अतिरिक्त, समस्त पूर्व प्रकरणों में आवेदक जमानत पर है और वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल पूरक शपथपत्र में उसके आपराधिक इतिहास की विस्तार से व्याख्या की गई है।
13. इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकरण में आवेदक 8 माह से अधिक अवधि से कारागार में है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14. अतः, उपरोक्त चर्चित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे मत में आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने का हकदार है।

15. तदनुसार, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

16. आवेदक-वीशू को उपरोक्त प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिशः उपस्थिति से छूट न दी जाये।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वायदा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत रहे अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ किये गये अवलोकन जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त अवलोकनों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

17 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"